फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी : ग्राम पंचायत — **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131, 133 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 116/25**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.07.2025 पत्रावली पेश हुई। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार घासा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम विकरणी की वर्तमान जमाबन्दी सयंत् 2077–80 के खाता संख्या 305 में खसरा संख्या 1511/551 रकबा 0.6475 हैक्टेयर किरम आबादी होकर ग्राम पंचायत विजनवास आबादी विस्तार हिस्सा पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का आबादी के रूप में आराजी नम्बर 551 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा में से किस्म चरनोट में से 04 बीघा भूमि का आवंटन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर के द्वारा दिनांक 25.01.1975 को बिलानाम आबादी के रूप में आवंटित हुई थी। कार्यालय तहसीलदार मावली के आदेश क्रमाकः राजस्व/म.ग्रा.ग्रा.शि. /2019/प्र.स./19/ 1858–62 दिनांक 22.08.2019 को बिलानाम आबादी से ग्राम पंचायत विजनवास के नाम दर्ज हुई। कब्जा सुपुर्दगी सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय पटवार हल्का विजनवास में उपलब्ध नहीं है। राजस्व ग्राम विकरणी के मूल आराजी नम्बर 551 में लट्ठा नक्शा शीट (कपडे वाला नक्शा) में उपरोक्त आवंटन सम्बन्धी तरमीम वर्तमान में मौजूद नहीं है। वर्तमान में फर्म द्वारा प्राप्त नक्शा शीट अर्थात् बटर शीट में तरमीम मौजूद है। जिसकी प्रति साथ सलंग्न है। वर्तमान नक्शे में मौजूद तरमीम का मौका देखा गया। जो कि मौके पर बसी आबादी अनुसार नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत विजनवास एवं उपस्थित मौतबिरान के द्वारा बताया गया कि मौके पर बसी आबादी मूल खसरा संख्या 551 जिसका हाल नम्बर 551 रकबा 5.2852 हैक्टेयर चरागाह पर किसी अन्य जगह है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी संलग्न की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की आराजी नम्बर 1511/551 मूल आराजी नम्बर 551 से पृथक होकर बना है। मूल आराजी नम्बर से बिलानाम आबादी हेतु भूमि का आवंटन किया गया। जिसका नामान्तरण [illegible]रित कर पृथक से बटा नम्बर दर्ज किया गया। परन्तु उक्त भूमि की तरमीम [illegible] नक्शा में नही की गई। आराजी नम्बर 551 के किस भाग का आवंटन किया गया इस संबंध में नक्शा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested

ट्रेस नामान्तरकरण पर भी संलग्न नही किया गया। केवल मात्र नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में बटा नम्बर दर्ज करते हुए बिलानाम आबादी दर्ज कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त नामान्तरकरण पारित होने के पश्चात जमाबंदी में बटा नम्बर अंकित करते हुए राजस्व नक्शे में भी तरमीम करनी चाहिए थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही किया गया। इस प्रकरण में वर्णित आराजी नम्बर 1511/551 राजस्व नक्शे में मूल आराजी नम्बर 551 में ही चली आ रही थी। तत्पश्चात तहसीलदार के आदेश से आराजी नम्बर 1511/551 के संबंध में आदेश पारित करते हुए ग्राम पंचायत विजनवास के नाम दर्ज कर दी गई। परन्तु उक्त भूमि राजस्व नक्शे में मूल आराजी नम्बर 551 में पृथक से कायम नही की गई। तत्पश्चात सेग्रीगेशन का कार्य किया गया। जिसमें राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किया जाना था। सेग्रीगेशन के समय उक्त आराजी नम्बर 1511/551 की तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर दी गई। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिलानाम आबादी भूमि का आवंटन मुख्य रूप से वहां किया जाता है जहां संघन आबादी बसी हुई हो। इस प्रकरण में भी बिलानाम आबादी हेतु उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा पूर्व में तरमीम नही की गई। उसके पश्चात अपने मनमुताबिक मौके पर खाली जगह पर तरमीम कर दी गई। जबकि राजस्व कर्मचारियो को उक्त तरमीम जहां आबादी बसी हुई थी वहां करनी चाहिए थी। उक्त भूमि की तरमीम मौके पर बसी आबादी अनुसार तरमीम कर दी जाती तो इससे किसी का भी कोई हक प्रभावित नही हो रहा है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मौके पर आबादी अनुसार किया जाना उचित पाया जाता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की आराजी नम्बर 1511/551 की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस पत्रावली का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(**रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:14 IST
Reason: SelfAttested